रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 518] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1974/पौष 3, 1896
No. 518] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1974/PAUSA 3, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library Govt. of India

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1974

S.O. 735(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d), (f), (h), (i) and (j) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Bihar in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st March, 1975.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

(i) Hay.
(ii) Bhusa.
(iii) Karab and Karbi.
(iv) Grass.
(v) Paddy straw.
(vi) Concentrates, *viz*, by-products of pulses, crushed maize, wheat bran and oats.

[No. 32-13/73-L.D.III.]

I. J. NAIDU, Addl. Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1974

का० आ० 735 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ), (च), (ज), (झ) और (ञ) के प्रयोजन आदेश देने के लिए उसको प्रदत्त शक्तियां इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशुचारे के सम्बन्ध में बिहार राज्य सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रयोक्तव्य होंगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 मार्च, 1975 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशुचारे की किस्में

1. सूखी घास
2. भूसा
3. करब और करबी
4. घास
5. धान का पुआल
6. सांध्र अर्थात् दालों के उपोत्पाद, मक्की का चूरा, गेहूं का चोकर और जई।

[सं० 32-13/73-एल० डी०-III]

आई० जे० नायडू, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW
P ED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974